न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

दावा संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
78/19	12.04.2019	07.10.2025

बउनवान

1. शांतनु कुमार पुत्र मुकेश कुमार जाति ब्रहामण निवासी मुण्डावर तह0 मुण्डावर
2. प्रशांत कुमार पुत्र मुकेश कुमार नाबालिंग जरिये माता सरपरस्त स्वयं सरीता देवी पत्नी मुकेश जाति ब्राहमण निवासी मुण्डावर

:– वादी/अप्रार्थीगण

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र प्रेमनारायण जाति ब्राहमण निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर
2. खगेन्द्र कुमार पुत्र प्रेमनारायण जाति ब्राहमण निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर।
3. दुर्गा प्रसाद पुत्र उमराव सिंह जाति ब्राहमण निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर – फौत

3/1 सरोज देवी पत्नी दुर्गाप्रसाद

3/2 नीरज उर्फ टिल्लू पुत्र दुर्गाप्रसाद

3/3 त्रिवेन्द्र उर्फ कोनी पुत्र दुर्गाप्रसाद जातियान ब्राहमण निवासी काजीवाडा मोहल्ला बी डी ओ आफिस के पास मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

3/4 बबली पुत्र दुर्गाप्रसाद पत्नी अमित कुमार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी हाल सिरयानी तह0 नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड

4. सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण नि0 लि0 मुण्डावर
5. श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जरिये लैण्ड होल्डर मुण्डावर जिला अलवर

प्रतिवादी/प्रार्थी

दावा अन्तर्गत 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी वकील –: श्री अशोक चौधरी
अप्रार्थी वकील –: श्री रामावतार चौधरी

आदेश 12 व आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी नीरज पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी मुण्डावर तह0 मुण्डावर द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. यह है कि उपरोक्त अनुवानी वाद अदालत श्रीमान में विचाराधीन है। जिसमें आज की तारीख पेशी नियत है।
2. यह है कि वादी के पिता द्वारा अदालत श्रीमान के समक्ष एक वाद बअनुवान मुकेश बनाम दुर्गाप्रसाद वगै० मु0न0 34/2004 के नाम से आराजी का तकासमा कराने हेतु पेश कियाा था, जो वाद अदालत श्रीमान द्वारा दिनाक 15/9/2006 को डिकी फरमा दिया गया, जिस डिकी में ख०न० 1483 रकबा 0.34 है०, ख0न0 1486 रकबा 0.61 है0, 1488 रकबा 0.43 हे०, ख०न० 1512 रकबा 0.42 हैक०, सालिम व ख0न0 1484 में से रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा तरफ उत्तर दिशा में तथा ख0न0 1509, 1510, 1511 में से 1/2 भाग वादी को दिये गये थे तथा ख0न0 1508 रकबा 0.32 हैक0, 1487 रकबा 0.33 हैक0, 1485 रकबा 1.19 हैक०, सालिम व ख०न० 1484 रकबा 1.34 हैक0, मे से रकबा 1.02 है०, तथा ख0न0 1509, 1510, 1511 में से 1/2 भाग मिन प्रतिवादीगण के हिस्से आया था तथा हम प्रतिवादीगण व वादी के पिता इसी प्रकार से आराजी पर काबिज काश्त है।
3. यह है कि वादी व वादी का पिता मुकदमें बाज है, जो आपस में साजबाज है, जो आये दिन अदालत श्रीमान के समक्ष नये नये वाद गलत तथ्यों पर पेश कर, हम प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करते आ रहे है तथा अदालत श्रीमान द्वारा पूर्व डिकी किये गये तकासमा के वाद मु0न0 34/2004 की पालना रोकने के लिये मुकेश ने अपने लड़के से कोलेसिव सूट सालिम आराजी बाबत पुनः पेश कर दिया गया है। इसलिए वादी का वाद विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल खारीज है। खारीज फरमाया जावे।
4. यह है कि वादी ने प्रतिवादी स० 1 से साजबाज होकर, उक्त दावा सालिम आराजी का अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया है, जबकी अदालत श्रीमान द्वारा बअनुवान मुकेश बनाम दुर्गा प्रसाद मु० न० 34/2004 के बाद का निस्तारण कर दिय गया है, लेकिन उसके बावजूद वादी द्वारा सालिम आराजी का दावा अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है, जो वाद विधि विरुद्ध होने के कारण चलने योग्य नही होकर काबिल खारीज है।
5. यह है कि वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादी स० 1 से उसके हिस्से की आराजी में से अपना हिस्सा घोषित कराने हेतु पेश किया है, लेकिन वादी द्वारा दावा में हम प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजी को सामिल कर, हम प्रतिवादीगण को भी प्रतिवादी की जद में पक्षकार बनाया गया है, जबकी वादीगण का हम प्रतिवादीगण की आराजी से कोई लेना देना नही है तथा वादी हम प्रतिवादीगण की आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज है तथा गैर वास्ता व गैर काबिज व्यक्ति को कोई बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा नही होती है। इसलिए वादी का वाद बेरून मियाद होकर काबिल खारीज है। खारीज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः अदालत श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मिन प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर, वादी के वाद को मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 12 व आदेश 7 नियम 11 निम्न पेश है।

1. यह है कि जिम्मन नं० 1 स्वीकार है।
2. यह है कि जिम्मन नं0 2 गलत है स्वीकार नही प्रार्थी द्वारा वर्णित मुकेश बनाम दूर्गाप्रसाद मुकदमा नं0 34/2004 का अभी तक कोई निस्तारण नही हुआ जिसकी अपील संख्या 6250/2024 राजस्व बोर्ड अजमेर में विचाराधीन जिसकी आगामी तारीख पेशी 04.12.2025 नियत है।
3. यह है कि जिम्मन नं0 3 गलत स्वीकार नही है शान्तनू विवादित आराजी मे बाई बर्थ हक निहित है जो कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए शान्तनू ने अपने हिस्सा प्राप्त के लिए वाद पेश किया न कि किसी को परेशान करने के लिए।
4. यह है कि जिम्मन नं0 4 गलत स्वीकार नही है जिम्मन नं0 2 मे वर्णित आराजी सालिम है क्योंकि मुकेश बनाम दूर्गाप्रसाद ने अपील संख्या 6250/2024 राजस्व बोर्ड अजमेर मे विचाराधीन जिसकी आगामी तारीख पेशी 04.12.2025 नियत है।
5. यह है कि जिम्मन नं0 5 गलत है स्वीकार नही है आराजी सालिम होने के कारण प्रत्येक इंच पर शान्तनू का बाई बर्थ हक निहित है। इसलिए प्रतिवादी का यह कथन गलत है कि विवादित आराजी से वादी गैर वास्ता व गैर काबिज है और बिनायदावी व बिनायमुखास्पत पैदा नही होती है। वादी का वाद का अन्दर मियाद पेश किया गया है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश निवेदन है कि प्रतिवादी ने यह प्रार्थना पत्र वादी को मानसिंक रूप से परेशान करने व न्यायालय श्रीमान् का बेजा रूप से समय बर्बाद करने की नियत से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य आदेश 7 नियम 11 की श्रेणी में नही आते है। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मय हर्ज–खर्चे खारिज फरमाया जावें। श्रीमान् महति कृपा होगी।

प्रार्थी पक्ष की ओर से निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतः विधि विरुद्ध व पूर्व निर्णयित विषय पर आधारित है।

1. पूर्व वाद का निर्णय (Res Judicata)

वादी के पिता द्वारा इसी आराजी बाबत वाद संख्या 34/2004 मुकेश बनाम दुर्गा प्रसाद पूर्व में इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसका निर्णय दिनांक 15.09.2006 को हो चुका है। उस निर्णय में आराजी का तकासमा स्पष्ट रूप से किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

अब पुनः उसी भूमि पर वाद लाया जाना धारा 11 सी.पी.सी. के अंतर्गत Res Judicata की श्रेणी में आता है।

2. वाद का उद्देश्य मात्र उत्पीड़न है –
वादी पक्ष पहले भी कई वाद प्रस्तुत कर चुका है। यह वाद केवल प्रतिवादीगण को मानसिक रूप से परेशान करने व न्यायालय का अमूल्य समय व्यर्थ करने हेतु दायर किया गया है।

3. वादी का विवादित भूमि से कोई वास्ता नहीं –
जिस आराजी को वादी ने अपने दावे में शामिल किया है, वह प्रतिवादी के हिस्से की भूमि है। वादी न तो उस पर काबिज है और न ही कोई कानूनी अधिकार रखता है। गैरवास्ता व गैरकाबिज व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का वाद बिना अधिकार दायर किया जाना विधि द्वारा स्वीकार्य नहीं।

4. वांद आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज योग्य है –
जब वाद पत्र से ही स्पष्ट हो कि वाद विधिक रूप से चलने योग्य नहीं है, तो उसे प्रारंभिक चरण में ही अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।
अतः निवेदन है कि वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 (क) एवं (घ)' सी.पी.सी. के तहत अस्वीकार' किया जाए।

अप्रार्थी (वादी) पक्ष की बहस – वकील श्री रामावतार चौधरी द्वारा
प्रार्थी पक्ष का प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से अस्थिर, तथ्यहीन व आधारहीन है। इसे मात्र वादी को डराने व वाद की सुनवाई में विलम्ब करने की मंशा से प्रस्तुत किया गया है।
1. पूर्व वाद का निस्तारण अंतिम नहीं हुआ है –
प्रार्थी ने जो वाद संख्या 34/2004 का हवाला दिया है, उसका निस्तारण अभी राजस्व बोर्ड अजमेर में अपील संख्या 6250/2024 के रूप में विचाराधीन है।
अतः जब अपील लंबित है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वाद का अंतिम निर्णय हो चुका है। इस स्थिति में Res Judicata लागू नहीं होती।

2. बाई बर्थ (By Birth) अधिकार निहित है –
वादी शांतनु विवादित भूमि में जन्मसिद्ध अधिकार रखता है। यह भूमि उसके पूर्वजों की पैतृक भूमि है, और बंटवारे में उसका हिस्सा कानूनी रूप से सुरक्षित है।
अतः यह वाद स्वतंत्र अधिकार दावा के रूप में विधि संगत है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

3. वाद पत्र से कोई ऐसी बात स्पष्ट नहीं जिससे यह अस्वीकार योग्य हो — आदेश 7 नियम 11 के अनुसार केवल वाद पत्र के अवलोकन से यह निर्णय किया जा सकता है कि वाद चलने योग्य है या नहीं।
वादी का वाद अपने अधिकार, हिस्सेदारी व कब्जे से संबंधित है, अतः इसमें कोई कानूनी बार नहीं है।

4. प्रार्थी का उद्देश्य केवल देरी करना है –
प्रार्थी इस वाद को अनावश्यक रूप से खींचना चाहता है ताकि न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो जाए। इसलिए यह प्रार्थना पत्र न्यायालय का दुरुपयोग है।

अतः निवेदन है कि न्यायालय श्रीमान, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर, वाद को सुनवाई के योग्य घोषित करे।

न्यायालय का विवेचन
न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के तर्कों, दस्तावेजों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. प्रतिवादी द्वारा जिस पूर्व वाद संख्या 34/2004 मुकेश बनाम दुर्गा प्रसाद व अन्य का उल्लेख किया गया है, उसका निर्णय दिनांक 15.09.2006 को पारित किया गया था। किन्तु, उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील संख्या 6250/2024 राजस्व बोर्ड, अजमेर में लंबित है।
2. वादी/अप्रार्थी के पिता मुकेश व प्रतिवादी दुर्गा प्रसाद के बीच में विचाराधीन अपील का निर्णय नही हुआ है। वादी/अप्रार्थी के पिता के हिस्से का निर्धारण नही हुआ है। ऐसे में वादी/प्रार्थी न्यायालय में वाद लानें का अधिकार नही रखता है।
3. वादी का वाद उसके जन्मसिद्ध अधिकार (by birth right) पर आधारित है। ऐसा दावा स्वतन्त्र अधिकार के रूप में विधिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जा सकता है। परन्तु वादी ने अपने वाद में अपने दादा के भाई दुर्गा प्रसाद को पक्षकार बनाया गया है। जो गलत हैं। क्योकि हिन्दु उत्ताधिकार अधिनियम 1955 के अनुसार पिता के जीवत रहते हुए दादा के हक हिस्से से अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है। वादी/अप्रार्थी ने अपने वाद के माध्यम से अपने दादा के भाई दुर्गा प्रसाद से सीधे ही अपना हक हिस्सा चाहा गया है। जो न्यायउचित नही है।

अतः न्यायालय के विवेचन के बिन्दु संख्या 01 लगायत 03 के अनुसार प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 12 जाप्ता दीवानी व आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 12 आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादी/अप्रार्थी के वाद को खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner